न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका क्रं. /2018

जगदीश प्रसाद पिता जगन्नाथ जाति लोहार निवासी ढाबलीकलां तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़

निगरानी-5703/2018/राजगढ़/भू.रा. **पुनरीक्षणकर्ता**

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन,
2. श्रीमती हंसकुंवर पति स्व. महेन्द्रसिह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढाबलीकलां तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र. ---- **गैर पुनरीक्षणकर्ता**

17-9-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-9-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 23/07/18 जो प्रकरण कमांक 206/अ–2/17–18 ग्राम ढाबलीकलां में न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, खिलचीपुर द्वारा पारित किया गया है।

माननीय महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – पुनरीक्षणकर्ता ने ग्राम ढाबलीकलां प.ह.न. 8 तहसील खिलचीपुर में स्थित अपने स्वत्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे कमांक 473/9/1 रकबा 0.010 हे. का व्यवसायिक डायवर्सन हेतु अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, खिलचीपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर से प्रकरण कमांक 206/अ–2/2017–18 दर्ज होकर दिनांक 07/05/2018 को समय जगत समाचार पत्र में उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया ओर उद्घोषणा प्रकाशन दिनांक 07/05/2018 से 15 दिवस के भीतर आपत्ति आमंत्रित की गई, किन्तु गैर पुनरीक्षणकर्ता कमांक 2 का प्रकरण में कोई हित निहित नही होने पर भी उक्त उद्घोषणा में उल्लेखित अवधि के बाहर गैर पुनरीक्षणकर्ता कमांक 2 की आपत्तियों पर विचार कर दिनांक 23/07/18 को अवैध, अधिकारिता रहित व अनियमित आदेश पारित किया गया है। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, खिलचीपुर के प्रकरण कमांक 206/अ–2/17–18 ग्राम ढाबलीकलां में पारित आदेश दिनांक 23/07/18 से असंतुष्ट व दुःखी होकर यह पुनरीक्षण याचिका न्याय प्राप्ति हेतु निम्न वैधानिक आधार के प्रस्तुत कि जा रही है।

पुनरीक्षण याचिका के वैधानिक आधार

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध स्वयं के आदेश दिनांक 03/05/18 के विपरित होने से निरस्ती योग्य है।
2. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अनियमित अधिकारिता रहित व प्रकिया के विपरित होने से निरस्ती योग्य है।
3. यह कि, अधिनस्थ न्यायलय की आदेश पत्रिका दिनांक 03/05/18 के पालन में उक्त ड्रायवर्सन की उद्घोषणा समाचार पत्र समय जगत में दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी/5703/2018/राजगढ/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12—10—18	आवेदक के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र त्यागी उपस्थित। शासन के अधिवक्ता श्री योगेश पारासर उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खिलची पुर जिला राजगढ के प्र0 क0 206/अ–2/17–18 में पारित आदेश दिनांक 23/07/18 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ढाबलीकला पटवारी हल्का न0 8 तहसील खिलचीपुर की भूमि सर्वे क. 473/9/1 रकबा 0.010 है0 का व्यवसायिक डायवर्सन हेतु अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्र0 क0 206/अ–2/17–18 पर दर्ज होकर दिनांक 07/05/18 को समय जगत समाचार पत्र में उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया जिसमें 15 दिवस के भीतर आपत्ति आमंत्रित की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 06/08/18 तक राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण सीमांकन की कार्यवाही नहीं की जा सकी। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। अभिलेख के देखने से प्रतीत होता है कि दिनांक 03/05/18 से दिनांक 06/08/18 तक सीमांकन की कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः अनुविभागीय	

प्रकरण कमांक निग/5702/2018/राजगढ़/भू.रा.

अधिकारी खिलचीपुर जिला राजगढ को निर्देषित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त कार्यवाही की जाकर सीमांकन कर प्रकरण का निराकरण शीघ्र करें।उभय पक्ष सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सदस्य